कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर)
जलेब चौक,जयपुर।

ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in फोन नम्बर 0141–2612593
Website: http:// home.rajasthan. gov.in/homeguards

क्रमांकः– प.37 (1819) गृरमु/पीएसएएल/2020/12155-57 दिनांकः-28 OCT 2020

कार्यालय आदेश

मैसर्स–CONT 2 ENTERPRISES LLP लाईसेन्स संख्या 1597/HG HQ (S-Cell)/2018 दिनांक 20.03.2018 वैद्यता दिनांक 19.03.2023 (निजी सुरक्षा अभिकरण एवं निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान) का इस कार्यालय के पत्रांक 3228–29 दिनांक 11.02.2020 द्वारा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 की धारा 16 के तहत वर्ष 2019–20 का वार्षिक निरीक्षण करवाने पर उक्त निजी सुरक्षा अभिकरण एवं निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का दर्जशुदा पते पर कार्यालय तथा प्रशिक्षण संस्थान संचालित होना नही पाया गया। उक्त अभिकरण द्वारा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 13(1)(ग) एवं राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) 2006 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन करने के कारण उक्त लाईसेन्स को पसारा एक्ट 2005 की धारा 13(2) के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4186–87 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया एवं अनुज्ञाधारक रानी बाई को पत्र क्रमांक 4188 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया।

कारण पृच्छा नोटिस के जवाब में अनुज्ञाधारक द्वारा संवादहीनता की वजह से प्रशिक्षण संस्थान व अभिकरण का कार्यालय निरीक्षण के दौरान बन्द होने के कारण पुनः निरीक्षण का आग्रह किया जिसे स्वीकार कर प्रशिक्षण संस्थान व अभिकरण का पुनः निरीक्षण करवाया गया। पुनः निरीक्षण के दौरान भी निजि सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, एन.एस.क्यू.एफ. द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक के अनुसार संचालित होना नहीं पाया गया व निजि सुरक्षा अभिकरण के संचालन में भी पसार एक्ट की धारा 09 एवं 10 तथा राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियम 06(03) के प्रावधानों का उल्लघंन पाया गया। उपरोक्त के प्रकाश में उक्त वर्णित निजि सुरक्षा अभिकरण की गतिविधियों को बहाल करते हुये प्रशिक्षण संस्थान से सम्बन्धित सभी गतिविधियां इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 9845–47 दिनांक 11.09.2020 के द्वारा पुनः एक माह के लिये निलम्बित की गई एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई सभी अनियमितताओं को दूर कर इस कार्यालय को सूचित करने हेतु अनुज्ञाधारक को निर्देशित किया गया। इस आदेश के संदर्भ में अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रति उत्तर के अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा पुनः निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं की आंशिक पालना ही की गई है। अतः अनुज्ञाधारक को पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी अनियमितताओं को दूर करें एवं इसकी पुष्टि हेतु सीनियर स्टाफ आफिसर–प्रथम, गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर को निरीक्षण हेतु आदेशित किया जाता है। उक्त के क्रम में उपर वर्णित प्रशिक्षण संस्थान के निलम्बन के आधार का प्रश्न अवधरित नहीं होने तक उपरोक्त निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित सभी गतिविधियां निलम्बित की जाती है।

(यू.आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान)
जयपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. रानी बाई पुत्री गुरू सरोज बाई कार्यालय पता प्रथम तल, कुम्भज चेम्बर, नियर मुमताज मार्केट, किशनगढ, जिला–अजमेर एवं प्रशिक्षण संस्थान पता भुवाजी फार्म हाउस, गांव–चौसला, तहसील–अराई, जिला–अजमेर।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर सूचना अपलोड करने बाबत्।

(यू.आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान)
जयपुर